

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 59
पुडुचेरी को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1879.77	...	1879.77	1729.78	0.01	1729.79	3129.78	0.01	3129.79	3117.76	0.01	3117.77
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	1879.77	...	1879.77	1729.78	0.01	1729.79	3129.78	0.01	3129.79	3117.76	0.01	3117.77
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
1. संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान हेतु अनुदान	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
2. संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	1874.77	...	1874.77	1724.77	...	1724.77	3124.77	...	3124.77	3112.75	...	3112.75
3. समुद्र तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना हेतु ईएपी	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. जल आपूर्ति परियोजना हेतु ईएपी	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	1879.77	...	1879.77	1729.78	0.01	1729.79	3129.78	0.01	3129.79	3117.76	0.01	3117.77
कुल जोड़	1879.77	...	1879.77	1729.78	0.01	1729.79	3129.78	0.01	3129.79	3117.76	0.01	3117.77
ख. विकास शीर्ष												
अन्य												
1. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1879.77	...	1879.77	1729.78	...	1729.78	3129.78	...	3129.78	3117.76	...	3117.76
2. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़-अन्य	1879.77	...	1879.77	1729.78	0.01	1729.79	3129.78	0.01	3129.79	3117.76	0.01	3117.77
कुल जोड़	1879.77	...	1879.77	1729.78	0.01	1729.79	3129.78	0.01	3129.79	3117.76	0.01	3117.77

1. **संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान हेतु अनुदान:** यह प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान के मद अनुदानों के लिए है।

2. **संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता:** यह प्रावधान पुडुचेरी सरकार की स्कीमों के संसाधनों और वित्तपोषणों में अंतर को पाटने के लिए अनुदानों के लिए है।

3. **समुद्र तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना हेतु ईएपी:** सांकेतिक राशि का यह प्रावधान पुडुचेरी सरकार के विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए है।

4. **जल आपूर्ति परियोजना हेतु ईएपी:** सांकेतिक राशि का यह प्रावधान पुडुचेरी सरकार के बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के लिए है।